

सुगम्य भारत अभियान

समावेशी समाज सशक्त भारत का
निर्माण करता है





आज दिव्यांगजनों के लिए अवसरों और सुगम्यता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि देश का प्रत्येक व्यक्ति सशक्त हो, समावेशी समाज का निर्माण हो, समानता की भावना पैदा हो और सहयोग से समाज में सद्भाव बढ़े और हर कोई एक साथ आगे अग्रसर हो ।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी



अध्याय

परिचय.....	01
1. सुगम्य भारत अभियान - उत्पत्ति.....	03
2. सुगम्य भारत अभियान की कवरेज - मुख्य विशेषताएं, उपलब्धियां और सर्वोत्तम प्रथाएं	07
I. निर्मित वातावरण	07
II. परिवहन क्षेत्र	09
III. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम.....	14
3. प्रगति की ओर	16
4. ट्रेकिंग और मॉनीटरिंग	18
5. निरंतर जागरूकता सृजन और अभियान को आगे बढ़ाना	20
6. प्रशंसापत्र	27
समाचारों में.....	28



वास्तव में समावेशी समाज एक ऐसा समाज है जिसमें हर कोई एक स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सकता है और राष्ट्र के समग्र विकास में योगदान दे सकता है। लेकिन असुगम्य भौतिक वातावरण, गतिशीलता और परिवहन की कमी, सहायक उपकरणों और प्रौद्योगिकियों की अनुपलब्धता, असुगम्य वेबसाइटों और सेवाओं से दिव्यांगजनों की मुख्यधारा की सामाजिक-आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में समान भागीदारी में बाधा उत्पन्न होती है।

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2.68 करोड़ दिव्यांगजन हैं। अतः, अवसरों में समानता और एक सक्षम वातावरण प्रदान करके दिव्यांगजनों की मदद करने के लिए बाधा मुक्त वातावरण और सुगम्य इकोसिस्टम का निर्माण करने की आवश्यकता महसूस की गई थी।

सुगम्यता की कमी

वर्ष 2015 से पहले सुगम्यता से संबंधित मुद्दों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। यह स्थिति इसके बावजूद थी कि भारत ने यूनाईटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज (यू एन सी आर पी डी) 2007 की पुष्टि की थी और बाधा मुक्त वातावरण के विकास और सुगम्यता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की थी। फिर भी, न तो एक मजबूत कानून, तय

समय सीमा के साथ लागू किया गया था, और न ही सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित अभियान शुरू किया गया था।

कानून को मज़बूत बनाए जाने की आवश्यकता

तत्कालीन निःशक्तजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 मुख्य रूप से कल्याण पर आधारित था। सुगम्यता से संबंधित प्रावधान सीमित थे और वे व्यापक नहीं थे। निःशक्तजनों द्वारा इन प्रावधानों को अधिकार के रूप में लागू नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा, अधिनियम में न तो सुगम्यता मानक निर्धारित करने का कोई प्रावधान किया गया था, और न ही इनके अनुपालन की कोई समय सीमा तय की गई थी।



सुगम्य भारत अभियान - उत्पत्ति

माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं 'दिव्यांगजन' शब्द दिया और 3 दिसंबर 2015 को विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ किया था।

सुगम्य भारत – एक सशक्त भारत का निर्माण

वर्ष 2014 से सार्वजनिक स्थानों पर सेवाओं और सुविधाओं को दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने का प्रावधान करना, दिव्यांगता क्षेत्र के लिए सुगम्यता संबंधी मुद्दों पर काम करने की सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास' के सिद्धांत के अनुरूप सरकार ने सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) सुगम्यता प्रदान करने का संकल्प लिया है। इसके तहत ही वर्ष 2015 में सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ किया गया। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों सहित पूरे सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में सुगम्यता सुनिश्चित करने के लिए सरकार सुगम्य भारत अभियान की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है।

सुगम्य भारत अभियान का विज़न है, एक्सेसिबल इंडिया, एम्पावर्ड इंडिया
-सुगम्य भारत, सशक्त भारत ।

सुगम्य भारत अभियान की आधारशिला

सुगम्य भारत अभियान ने यू एन सी आर पी डी (UNCRPD) से प्रेरणा ली और इसकी कार्य योजना और लक्ष्य, इंचियोन रणनीति के लक्ष्य 3 से प्राप्त किए गए हैं जो “अधिकार को साकार बनाने” का प्रयास करते हैं।

तदनुसार, इस अभियान में सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) बाधा मुक्त वातावरण के निर्माण के लिए तीन स्तंभ - निर्मित वातावरण, परिवहन क्षेत्र और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) इकोसिस्टम में सुगम्यता की विशेषताएं प्रदान करने की परिकल्पना की गई हैं।

अभियान के भाग



सार्वजनिक भवन
(केन्द्रीय एवं राज्य सरकारी)



सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
(सार्वजनिक वेबसाइट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आदि)



सर्वजनिक परिवहन
(पथ, रेल एवं हवाई)

अभियान और सुगम्यता के अधिकार को पूर्ण कानूनी मजबूती प्रदान करने के लिए, सरकार ने दिव्यांगजन अधिकार (आर पी डब्ल्यू डी) अधिनियम, 2016 अधिनियमित किया था जो अप्रैल, 2017 से लागू हुआ है। इसके तहत दिव्यांगजनों के लिए सुगम्यता एक अधिकार बन गयी है, जबकि इससे पहले यह केवल एक कल्याणकारी उपाय था। अधिनियम या उसके तहत नियमों के प्रावधानों का पालन न करने पर जुर्माने और कारावास की सजा का विधान किया गया है। इस प्रकार, सुगम्य भारत अभियान अधिनियम के प्रावधानों को साकार बनाने का एक साधन है।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की मुख्य विशेषताएं



धारा 40

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी 3 घटकों में सुगम्यता के मानक निर्धारित करने वाले नियम बनाना



धारा 41 से 43

परिवहन, आईसीटी, यूनिवर्सिटी डिजाइन किए गए उपभोक्ता उत्पादों में सुगम्यता के लिए सुविधाएं प्रदान करना



धारा 44

निर्धारित मानकों के अनुसार सुगम्यता कानून का अनिवार्य पालन सुनिश्चित करना (धारा 40)



धारा 45 और 46

मौजूदा बुनियादी ढांचे/सेवाओं को सुगम्य बनाने के लिए समय सीमा तय करना - इमारतों के लिए (5 वर्ष) और सेवाओं के लिए (2 वर्ष)

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर शुरू किए गए सुगम्य भारत अभियान ने दिव्यांगता के क्षेत्र में उत्साहवर्धन किया है। इस अभियान को सभी क्षेत्रों में सुगम्यता की आवश्यक विशेषताओं से संबंधित समाज में व्यवस्थित परिवर्तन लाने के रूप में देखा जा रहा है।

अभियान के उद्देश्य और ध्येय

अभियान का उद्देश्य एक बाधा मुक्त वातावरण बनाने की प्रक्रिया को औपचारिक रूप देना और सार्वजनिक सुविधाओं और स्थानों में दिव्यांगजनों के अनुकूल सुगम्यता प्रदान करना है। इसका मुख्य उद्देश्य मुख्यधारा की सुगम्यता का निर्माण करना है ताकि इसे हमारी संस्कृति और लोकाचार का अटूट हिस्सा बनाया जा सके।

सुगम्यता को केवल दिव्यांगजनों के लिए ही नहीं समझा जाना चाहिए। यह जीवन के विभिन्न चरणों में हर किसी के लिए

आवश्यक है- चाहे वह बचपन हो, बुढ़ापा, गर्भावस्था, बीमारी का समय हो, दुर्बलता हो, सर्जरी हुई हो, आदि।



“सुगम्य भारत अभियान के कार्यान्वयन से चाहे वह स्कूल हो, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, बस टर्मिनल, रेलवे स्टेशन, बैंक, लिफ्ट, वेब पर डिजिटल सामग्री इत्यादि हो, इसे और अधिक ‘दिव्यांगजनों के अनुकूल’, बनाने में फिजिकल और वर्चुअल दोनों प्रकार के बुनियादी ढांचे में सुधार करना होगा। पूरे बुनियादी ढांचे को सुगम्य बनाने के लिए नवाचार, प्रौद्योगिकी, प्रणालियों और संवेदनशीलता की आवश्यकता होगी।”

- सुगम्य भारत अभियान के शुभारंभ पर माननीय प्रधानमंत्री का वक्तव्य,
दिसम्बर, 2015



सुगम्य भारत अभियान की कवरेज –

मुख्य विशेषताएं, उपलब्धियां और सर्वोत्तम प्रथाएं

तीन स्तंभों में सुगम्यता:

1. निर्मित वातावरण

इसका उद्देश्य सरकारी भवनों में सुगम्यता बढ़ाना है। सीढ़ियां, रैंप, डबल हाइट हैंडरेल्स, गलियारों में टेक्टाइल पथ, चौड़े प्रवेश द्वार, आरक्षित पार्किंग, दिव्यांगजन अनुकूल शौचालय, सुगम्य लिफ्ट, आदि में सुगम्यता की विशेषताओं का प्रावधान करना है। सार्वजनिक भवनों जैसे स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, पर्यटन स्थल आदि को सुगम्य बनाने पर जोर दिया जा रहा है।



सुगम्यता के अधिसूचित मानक	हारमोनाईज्ड गाईडलाईन्ज एंड स्पेस स्टैन्डर्ड्स फोर बैरीयर फ्री बिल्ड एनवायरमेन्ट फोर पर्सन्स विद डिसअबिलिटी एंड एल्डरली पर्सन्स
लक्ष्य	सुगम्य लेखा परीक्षा आयोजित करना और नामित केंद्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की इमारतों को सुगम्य बनाना है।



- रैंप, लिफ्ट, शौचालय, पार्किंग आदि जैसी सुगम्य विशेषताएं प्रदान करके 1524 इमारतों को सुगम्य बनाया गया है। इनमें शामिल हैं : -
 - 1030 केंद्र सरकार की इमारतें
 - 494 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की इमारतें



- 1662 राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार की इमारतों का सुगम्यता के लिए एक्सेस ऑडिट पूरा किया गया (केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित)

सुगम्य भवनों के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख आवश्यकता स्थानीय उप विधियां (लोकल बाय लॉज) जिसमें सुगम्यता शामिल हो, को बनाना और उन्हें लागू करना है। अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने बिल्डिंग परमिट और कार्य पूरा होने के संबंध में प्रमाणपत्र देने की प्रक्रिया के साथ सुगम्यता को जोड़ने के लिए मॉडल बिल्डिंग बाय लॉज को अपनाया है।


भारत सरकार के परियोजना मूल्यांकनों में अब सुगम्यता के पहलुओं की निगरानी शामिल है।



सर्वोत्तम प्रथाएं : निर्मित वातावरण



कोहिमा, नागालैंड में स्थित महालेखाकार कार्यालय में डबल हाइट रेलिंग के साथ रैंप बनाया गया है।



नए रायपुर स्मार्ट सिटी को सुगम्य वॉकवे और पैदल यात्री क्रॉसिंग के साथ डिजाइन किया गया है।


[सौजन्य: नागालैंड और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकारें]

II. परिवहन क्षेत्र

इस क्षेत्र के लिए, बुनियादी ढांचे के साथ-साथ परिवहन क्षेत्र की सेवाओं में सुगम्यता प्रदान करने पर ध्यान दिया जा रहा है। इस प्रकार, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों के साथ-साथ वाहक (रेलवे कोच, बस, आदि) और संबंधित सेवाओं जैसे टिकट बुकिंग, पूछताछ, बुकिंग की स्थिति, विशेष सहायता की बुकिंग, आदि को दिव्यांग अनुकूल बनाया जा रहा है।

दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन में सुगम्यता

दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने दिव्यांगजनों की यात्रा को बाधा मुक्त बनाने के लिए विशेष उपाय किए हैं उपाय किए हैं



प्रदान की गई सुगम्यता सुविधाओं में शामिल है :

- वाइड ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन(एएफसी) गेट
- व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए चार्जिंग पॉइंट के पास ट्रेन के अंदर आरखित स्थान
- ट्रेनों में बाधा रहित बोर्डिंग
- ड्रॉप ऑफ पॉइंट्स से रैंप
- ब्रेन बटन सहित निम्न स्तर पर स्थित कंट्रोल पैनल वाली लिफ्ट
- टिकट काउंटरों, एएफसी गेटों, लिफ्टों और ट्रेन बोर्डिंग गेट्स/प्लाइंटस तक जाने के लिए टैक्टाइल पथ
- सुगम्य शौचालय

[सौजन्य: दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन]



हवाई अड्डे

सुगम्यता के मानक

हवाई यात्रा के लिए सुगम्यता के मानक तैयार किए जा रहे हैं

हवाई अड्डों में सुगम्यता के प्रावधान



रैम्प



शौचालय



लिफ्ट



टैक्टाइल



पार्किंग



पेयजल



विशेष प्रावधान

(एयरोब्रिज, एम्ब्यू-लिफ्ट, आरक्षित बैठने की व्यवस्था, सामान दावा कैरोसेल्स में आरक्षित स्थान, विशेष सहायता)

हवाई यात्रा में सुगम्यता के लिए प्रस्तावित प्रावधान

एयरपोर्ट ऑपरेटर्स द्वारा

- सुगम्य पार्किंग
- चिन्हित ड्रापऑफ/पिक अप स्थानों सहित सुगम्य मार्ग
- सुगम्य प्रवेश
- हेल्पडेस्क और चेक-इन एरिया
- सुगम्य सुरक्षा जांच
- सामान दावा करने वाले क्षेत्रों और आराम स्थलों पर सुगम्यता
- टैक्टाइल भू-सतह संकेतक
- एयरोब्रिज और एम्ब्यू-लिफ्ट
- लो-फ्लोर बसें

एयरलाइन्स द्वारा

- सुगम्य वेबसाइट
- कॉल सेंटर/ ओटीए टिकटिंग तक पहुंच
- विशेष सहायता और स्टाफ एवं अटेंडेन्ट को विशेष प्रशिक्षण
- विशेष कोच
- बोर्डिंग के लिए रैम्प्स
- ब्रैल फार्मेट में सूचना बुकलेट
- व्यक्तिगत गतिशीलता उपकरणों और व्हीलचेयर के लिए व्यवस्था
- ऑनबोर्ड सहायता
- फ्लाइट में मनोरंजन के लिए सुगम्य फार्मेट

सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा

- व्हीलचेयर, प्रोस्थेटिक्स, चिकित्सा उपकरणों या पट्टियों और सर्विस ऐनिमल्स के साथ यात्रियों के लिए निर्बाध जांच(स्क्रीनिंग)
- एम्ब्युलेंस सेवाओं का प्रयोग कर रहे यात्रियों के लिए विशेष जांच
- दवा और संबद्ध आपूर्तियों की जांच
- रेस्पिरेटरी उपकरणों की एक्स-रे जांच





सर्वोत्तम प्रथाएं : हवाई अड्डे



बिरसा मुंडा हवाई अड्डा, रांची, झारखंड में सामान दावा क्षेत्रों के पास आरक्षित स्थान



देवी अहिल्या बाई होलकर हवाई अड्डा, इंदौर, मध्य प्रदेश में आसान स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) के लिए ई-कार्ट सेवाएं



तमिलनाडु के चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में बाधा मुक्त बोर्डिंग के लिए एयरोब्रिज



हवाई अड्डों पर उपलब्ध एम्ब्यू-लिफ्ट के माध्यम से बोर्डिंग में आसानी



नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, कोलकाता में व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए कम ऊंचाई वाले काउंटर



ओडिशा के झारसुगुडा हवाई अड्डे में आरक्षित बैठने की व्यवस्था

[सौजन्य: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण]



रेलवे

सुगम्यता के मानक

रेल यात्रा के लिए सुगम्यता के मानक तैयार किए जा रहे हैं

रेलवे स्टेशनों में सुगम्यता के प्रावधान



रैम्प



शौचालय



लिफ्ट



टैक्टाइल



पार्किंग



साइनेज



पेयजल

सर्वोत्तम प्रथाएं : रेलवे



देहरादून रेलवे स्टेशन में आसानी से रास्ते का पता लगाने के लिए रेलिंग के साथ ब्रेल टैक्टाइल मानचित्र और ब्रेल संकेतक/साइनेज उपलब्ध कराए गए हैं



परिवहन क्षेत्र में सुगम्यता

हवाई अड्डे- सभी 35 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों में और 69 घरेलू हवाई अड्डों में से 55 में सुगम्यता की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

रेलवे- 1391 रेलवे स्टेशनों पर सुगम्यता की सुविधा प्रदान की गई है, जिसमें 603 रेलवे स्टेशनों को सुगम्य अंतर-प्लेटफार्म स्थानांतरण (ट्रान्सफर) और प्लेटफार्मों के किनारों पर चिह्न प्रदान किए गए हैं।

सार्वजनिक परिवहन - 62 एसटीयू (राज्य परिवहन उपक्रम) के स्वामित्व वाली 1,47,368 परिचालन बसों में से - 42,169 (28.61%) बसों को आंशिक रूप से सुगम्य और 10,175 (6.90%) बसों को पूरी तरह से सुगम्य बनाया गया।



सार्वजनिक परिवहन

सुगम्यता के अधिसूचित मानक

कोड ऑफ प्रैक्टिस फोर बस बोडी एंड अप्रूवल

सरकारी सार्वजनिक परिवहन वाहकों (बसों) में सुगम्यता के प्रावधान

बसों में उपलब्ध कराई गई सुगम्य विशेषताएं –



आसानी से व्हीलचेयर के साथ चढ़ने और उतरने के लिए फोल्डेबल रैंप और चौड़े दरवाजे



ऑडियो घोषणा प्रणाली और जानकारी का वीडियो या डिजिटल प्रदर्शन



आपातकालीन प्रतिक्रिया उपकरण - अलार्म बटन और अग्निशमन उपकरण पहुंच योग्य ऊंचाइयों पर स्थित हैं



सुरक्षा लॉक और बेल्टस सहित व्हीलचेयर्स उपयोगकर्ताओं के लिए आरक्षित स्थान तथा वृद्ध, गर्भवती महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित बैठने की व्यवस्था



ग्राफिकल और ब्रैल साइनेज का प्रयोग करते हुए सूचना (जैसे सीट नम्बर और चलने के लिए आगे शेष कदम) उपलब्ध कराए गए हैं

सर्वोत्तम प्रथाएं : सार्वजनिक परिवहन वाहक



इंदौर में व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं द्वारा बस में चढ़ने की सहूलियत के लिए फोल्डेबल रैंप और चौड़े दरवाजे प्रदान किए गए।



दिल्ली परिवहन निगम की बसों के अंदर व्हीलचेयर के लिए सुरक्षित स्थान का आवंटन




III. सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इकोसिस्टम

सुगम्य भारत अभियान वेबसाइटों, सार्वजनिक दस्तावेजों, टीवी पर मीडिया कंटेंट में सुगम्यता और सांकेतिक भाषा दुभाषियों (इंटरप्रेटर्स) के प्रशिक्षण को बढ़ावा देता है।

इसका उद्देश्य सुगम्य वेबसाइटों, सुगम्य सार्वजनिक दस्तावेजों का उपलोड होना, सार्वजनिक टेलीविजन समाचार, मनोरंजन के कार्यक्रमों तथा सांकेतिक भाषा इंटरप्रीटेशन को भी विकसित करना है।



सर्वोत्तम प्रथाएं : वेबसाइट



पूर्ण रूप से सुगम्य वेबसाइट



सुगम्यता के अधिसूचित मानक

भारत सरकार की वेबसाइटों के मार्गनिर्देशक



लक्ष्य

(वेबसाइट एवं सार्वजनिक दस्तावेज़)

सरकारी वेबसाइटों और सरकार द्वारा जारी किए गए सार्वजनिक दस्तावेजों को सुगम्यता मानकों का अनुपालन करते हुए पूर्ण रूप से सुगम्य बनाना

- 588 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की वेबसाइटों में अन्य सुविधाओं के साथ-साथ स्क्रीन रीडर, कलर कंट्रास्ट, ट्रान्सलेशन, फॉन्ट साइज कंट्रोल के लिए सुगम्यता की सुविधाएं दी गई हैं।
- केन्द्र सरकार की 95 वेबसाइटों को पहले से ही सुगम्य बनाया जा चुका है।
- सभी मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुगम्य प्रारूपों में सार्वजनिक दस्तावेजों के विकास के लिए कार्य करना होगा।



लक्ष्य

(सांकेतिक भाषा दुभाषिण)

सांकेतिक भाषा दुभाषियों का प्रशिक्षण और विकास

- भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र द्वारा दीर्घकालिक, अल्पकालिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से 1250 से अधिक सांकेतिक भाषा दुभाषियों को प्रशिक्षित किया गया है।



लक्ष्य

(टीवी देखने में)

कैप्शनिंग और सांकेतिक भाषा इंटरप्रिटेशन पर राष्ट्रीय मानकों का विकास और सरकारी चैनलों द्वारा प्रसारित सार्वजनिक टीवी कार्यक्रमों को मानकों के अनुरूप बनाना

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने श्रवण बाधितों के लिए सुगम्य टीवी देखने के लिए मानक तैयार किए हैं जिसमें विशेष उपकरणों के क्लोज्ड कैप्शनिंग, सबटाइटलिंग और डिजाइनिंग का प्रावधान है।
- चरणबद्ध तरीके से टीवी पर सुगम्य सामग्री को बढ़ाया जा रहा है।
 1. 19 निजी समाचार चैनलों ने 2447 सुगम्य न्यूज़ बुलेटिन का प्रसारण किया है।
 2. 17 सामान्य मनोरंजन चैनलों द्वारा सबटाइटलिंग का उपयोग करके 3686 अनुसूचित कार्यक्रम/ फिल्मों प्रसारित की हैं।

सर्वोत्तम प्रथाएं : टी वी देखने में



डीडी न्यूज़ पर सांकेतिक भाषा दुभाषिया के साथ स्वतंत्रता दिवस का प्रसारण

प्रगति की ओर

सही मायने में सार्वभौमिक रूप से सुगम्य भारत के विकास और एक मजबूत एवं कुशल ईकोसिस्टम लाने के लिए सुगम्यता को प्राथमिकता देना आवश्यक है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में सुगम्य वातावरण और सेवाएं प्रदान की जानी चाहिए।

सुगम्यता के पहले कदम के रूप में, क्षेत्रवार सुगम्य मानकों को निर्धारित और अधिसूचित किया जाना आवश्यक है। अब तक, सार्वजनिक भवनों, यात्री बसों और वेबसाइटों पर दिए गए दस्तावेजों सहित सरकारी वेबसाइटों के सुगम्यता के मानकों को अधिसूचित किया गया है। इसलिए दिव्यांगजन अधिकार नियम 2017 में अधिसूचना के लिए, सुगम्य भारत अभियान के तहत, सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित कार्य करने वाले केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को, उनके क्षेत्र में निर्धारित समय सीमा के भीतर मानक/दिशा निर्देश (गाइडलाइन्स) तैयार करने का काम सौंपा गया है।



ट्रेकिंग और मॉनिटरिंग

इस अभियान की मॉनिटरिंग के उद्देश्य से, सितंबर 2019 में एक एमआईएस पोर्टल का लॉन्च किया गया था। केंद्रीय मंत्रालय/विभाग और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस पोर्टल पर सुगम्य भारत अभियान के लक्ष्यों के कार्यान्वयन से संबंधित डेटा अपलोड करते हैं।

अभियान को जन आंदोलन में बदलने के लिए और जन-भागीदारी के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं एक क्राउडसोर्सिंग ऐप विकसित करने का निर्देश दिया था ताकि दिव्यांगजन भारत के किसी भी जगह से सुगम्यता न होने की स्थिति में उनके सामने आने वाली कठिनाईयों के मुद्दे उठा सकें।

माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप, सुगम्य भारत ऐप - एक क्राउडसोर्सिंग मोबाइल एप्लीकेशन का 2 मार्च 2021 को लोकार्पण किया गया था।

सुगम्यता से संबंधित मुद्दे उठाने के लिए सुगम्य भारत ऐप – ‘कोई भी - कहीं से भी – कभी भी’।

उपयोगकर्ता-अनुकूल विशेषताएं:

- सरल पंजीकरण
- सुगम्य ड्रापडाउन मेनू
- 10 भाषाओं के लिए विकल्प
- फोटोग्राफ्स और लोकेशन के लिए जियोटैगिंग
- हिंदी और अंग्रेजी में वीडियो प्रदर्शन
- विवरण/जानकारी के लिए पॉप-अप सुविधा
- शिकायतकर्ता को अलर्ट के माध्यम से स्थिति की जानकारी दी जाती है

सुगम्य सुविधाएं:

- टैक्स्ट टू स्पीच
- फॉन्ट साइज़ को बदलने की सुविधा
- कलर कॉन्ट्रास्टिंग का विकल्प
- एंड्रॉइड और आईओएस सुगम्यता मोड के साथ अनुकूलता।



निरंतर जागरूकता सृजन और अभियान को आगे बढ़ाना

पूरे देश में बुनियादी ढांचे और सेवाओं में बड़े पैमाने पर सुगम्यता लाना एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए बड़े पैमाने पर लोगों की मानसिकता में भी बदलाव की जरूरत है। अतः समाज में इस तरह का महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए निरंतर जागरूकता सृजन और संवेदनशीलता पैदा करना महत्वपूर्ण है।

सुगम्यता का एक रेडी रेकनर: सुगम्यता की आवश्यक न्यूनतम आवश्यकताओं को सरल तरीके से समझाने के लिए, भवनों में सुगम्यता की 10 मूलभूत विशेषताओं की एक सरल गाईड बुक विकसित की गई है।

सुगम्य सुविधाएं	विशेष विवरण
मार्ग/ पाथवे	900मि.मी. – 1800मि.मी., गैर-फिसलन सतह, टैक्टाइल मार्ग, साइनेज, अच्छी तरह से प्रकाशमय, अबाधित
पार्किंग	5000मि.मी. X 3600मि.मी., प्रवेश द्वार के 30 मीटर के भीतर, ट्रान्सफर बे, सुगम्य मार्ग से जुड़ा हुआ, वर्टिकल और फर्श पर साइनेज
प्रवेश-द्वार	900 – 1800मि.मी. की चौड़ाई, ग्रेडियंट 1:12 सहित रैम्प और डबल हाईट की गोल हैंडरेल, गैर-फिसलन और कलर कॉन्ट्रास्ट किया गया फर्श, 1000मि.मी. चौड़ाई का मुख्य द्वार, प्रमुख साइनेज
कॉरिडोर	1500मि.मी. से 1800मि.मी. चौड़ा, गैर-फिसलन सतह, टैक्टाइल मार्ग, अच्छी तरह से प्रकाशमय, कुर्सियों/पीठों द्वारा अबाधित, दरवाजे कॉरिडोर की तरफ खुलने नहीं चाहिए
रिसेप्शन	750-900मि.मी. चौड़ाई सहित कम ऊंचाई वाले काउंटर(750-800मि.मी.) और 800मि.मी. ऊंचाई के लेग स्पेस तथा काउंटर के नीचे 480 मि.मी. डेथ, सुगम्यता सुविधाओं की सूचना, संचार के लिए वैकल्पिक मीडिया- इंडक्शन लूप, ब्रैल, ऑडियो, आदि
लिफ्ट/एलीवेटर	प्रवेश द्वार पर चेतावनी टाइल्स के साथ 900मि.मी. चौड़ाई वाला दरवाजा, 1500मि.मी. X 1500मि.मी. लिफ्ट कार का आकार, ब्रैल बटन, ऑडियो वाली सूचना और डिजिटल डिस्प्ले, तीनों तरफ से ग्रेब बार्स, अलार्म बटन, पीछे की दीवार पर शीशा
शौचालय	2000मि.मी. X 2200मि.मी. क्षेत्रफल, बाएं और दाएं हाथ का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों द्वारा उपयोग के लिए ग्रेब-बार, 900 मिमी दरवाजा (डबल स्विंग या बाहर की ओर खोलना), गैर-फिसलन सतह, आपातकालीन बटन, लैच (मध्य, बेस भी), आसानी से ऑपरेट करने वाले हैंडल्स और लॉन्ग नेक के लीवर टाइप टैप, बिना किसी चौखट के।
सीढ़ियां	सीढ़ियों पर कलर कॉन्ट्रास्टिंग स्टिप्स, दुगुनी ऊंचाई के गोल हैंडरेल्स (38-45 मि.मी. डायामीटर, दीवार से 50मिमी की दूरी) शुरू और अंत में चेतावनी टाइल्स
पेयजल की सुविधा	दुगुनी ऊंचाई (750-800मिमी) फाउन्टेन का प्रकार, आसानी से ऑपरेट करने वाले टैप, काउंटर के नीचे लेग स्पेस(300मिमी), कोई सीढ़ी या प्लेटफॉर्म नहीं अन्यथा रैम्प उपलब्ध कराया जाएगा।
साइनेज	दिशात्मक और सूचनात्मक, हाई कान्ट्रास्ट, आसानी से समझने वाले, प्रमुख और अबाधित स्थान, मानकीकृत, वैकल्पिक फॉर्मेट- ब्रैल, ऑडियो आउटपुट, टैक्टाइल मैप/बोर्ड, गैर-चमकीली मैट सामग्री, टिकाऊ क्वालिटी।



एक्सेस – दी फ़ोटो डाइजेस्ट

संवेदीकरण और जागरूकता पैदा करने के लिए एक्सेस- दी फ़ोटो डाइजेस्ट नामक व्याख्यात्मक गाइड बुक की एक सीरीज़ संकलित की जा रही है। सार्वजनिक इमारतों पर सीरीज़ का पहला खंड 2 मार्च 2021 को सुगम्य भारत ऐप के साथ ही लॉन्च किया गया है। ये बुकलेट्स कार्यकारी और कार्यान्वयन एजेंसियों के पेशेवरों के साथ-साथ आम लोगों को अपने परिवेश में सुगम्यता लाने में मदद करेंगी। इस सीरीज़ का दूसरा खंड, हवाई अड्डों में सुगम्यता पर है।

सामाजिक बुनियादी ढांचे में सुगम्यता बढ़ाने के उपाय



शिक्षा के क्षेत्र में सुगम्यता

- 11,68,292 में से 8,33,703 (71%) सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों को रैम्प, हैंडरेल और सुगम्य शौचालय उपलब्ध कराकर बाधामुक्त बनाया गया है।
- कक्षा 1 से 12 और बीएड पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी द्वारा और राज्य बोर्डों द्वारा सुगम्यता विषय को शामिल किया गया है।
- समग्र शिक्षा अभियान के तहत, शिक्षकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण और विशेष प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान किया गया है।



पर्यटन क्षेत्र में सुगम्यता

होटल	स्मारक
<ul style="list-style-type: none"> • परियोजना स्तर पर होटल के अनुमोदन और क्रियाशील होटलों के वर्गीकरण/पुनर्वर्गीकरण के लिए, सुगम्यता को अनिवार्य किया गया है। • दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए 1849 होटलों के 109705 कमरों को विकसित किया गया है। 	<ul style="list-style-type: none"> • 28 अनुमोदित परियोजनाओं को स्मारक मित्र (निजी/सार्वजनिक कंपनियों/व्यक्तियों) द्वारा 'एडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोजेक्ट' के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है, जहां बाधा मुक्त स्मारकों का निर्माण अनिवार्य कर दिया गया है। • विषय (थीम) आधारित पर्यटन सर्किट में बाधा मुक्त बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 'स्वदेश दर्शन' योजना के तहत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। • 'प्रशाद' योजना के तहत चिन्हित तीर्थ शहरों में सुगम्य सुविधाओं के विकास की 36 परियोजनाओं में से 16 परियोजनाओं को पूरा किया गया।



केवड़िया, गुजरात में प्रतिष्ठित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के सबसे समावेशी पर्यटन स्थलों में से एक है।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स में उपलब्ध सुगम्यता की विशेषताओं में शामिल हैं

- ट्रेवलेटर्स
- व्यूइंग डेक्स तक पहुँचने के लिए सुगम्य लिफ्ट
- व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं के लिए निर्बाध सुरक्षा जांच
- आसानी से आने-जाने के लिए व्हीलचेयर और ई-कार्ट
- सुगम्य शौचालय और पेयजल स्टेशन
- साइनेज




क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटरों में सुगम्यता

प्रत्येक बच्चे के समग्र विकास और उन्नति के लिए पहले छह वर्ष की आयु महत्वपूर्ण होती है। इसलिए विभिन्न प्रकार के दिव्यांगता ग्रस्त बच्चों के लिए पुनर्वासि सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरे भारत में क्रॉस-



दिव्यांगता पर केंद्रित, 14 अर्ली इंटरवेंशन सेंटर (ई आई सी) स्थापित किए गए और 17 जून 2021 को लॉन्च किए गए।

इन केंद्रों में सुगम्य सुविधाएं जैसे सुगम्य पार्किंग, मार्ग, रैंप, सुगम्य स्वागत काउंटर, सुगम्य शौचालय एवं पेयजल प्वाइंट, सीढ़ियां और उपयुक्त निर्देशात्मक और दिशात्मक संकेत उपलब्ध कराये गए हैं।



संचार के सुगम्य साधन: भारतीय सांकेतिक भाषा (आई एस एल)

श्रवण बाधित व्यक्तियों की सहायता के लिए, भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आई एस एल आर टी सी), एन सी ई आर टी के साथ मिलकर एन सी ई आर टी पाठ्यपुस्तकों तथा अन्य शैक्षिक सामग्री को आई एस एल डिजिटल प्रारूप में बदल रहा है। इसके अलावा, 10,000 शब्दों वाली आईएसएल शब्दकोश का तीसरा संस्करण 17 फरवरी 2021 को प्रमोचित किया गया था।



भारतीय सांकेतिक भाषा – ‘एक राष्ट्र, एक सांकेतिक भाषा’ विषय पर आईएसएलआरटीसी की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड 2021 में शामिल करना, सुगम्यता के अभिन्न अंग के रूप में आईएसएल के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।



प्रशंसा पत्र

सुगम्य भारत ऐप

“जैसे स्वच्छ भारत अभियान के बारे में हर किसी को पता है, वैसे ही लोगों को सुगम्य भारत अभियान के बारे में भी जानना चाहिए। दिव्यांगजनों तक सुगम्यता के विस्तार से ... आर्थिक विस्तार को बढ़ावा मिलेगा, माननीय प्रधानमंत्री के भारत को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के विजन को सुगम्यता के माध्यम से हासिल किया जा सकता है।

“सुगम्यता दिव्यांगजनों के लिए एक जीवन रेखा है.... यह महत्वपूर्ण है कि हमारे पास एक सुगम्य भारत ऐप है जिसके माध्यम से दिव्यांगजनों, उनके परिवारों और देखभाल करने वाले सुगम्य वातावरण की मांग कर सकते हैं। हमारे लिए सुगम्य भारत सशक्त भारत है।

“यह ऐप क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी और आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के प्रावधानों को साकार बनाने के लिए ऐप प्रभावी साधन के रूप में काम करेगी।

सुगम्य भारत अभियान

“महोदय, हमने अपने स्कूल में सुगम्य भारत अभियान मनाया। इससे विद्यार्थियों को समाज के दिव्यांगजनों की सहायता करने के लिए प्रेरणा एवं प्रोत्साहन मिला। मुझे लगता है कि यह एक बड़ी पहल थी।

“इस अभियान की शुरुआत अपने आप में एक क्रांतिकारी कदम है क्योंकि देश में राजनैतिक दलों और सरकारों ने अब तक दिव्यांगजनों की उपेक्षा की है। सरकार द्वारा देश के इस भूले हुए समुदाय के लिए सुगम्य भारत अभियान का शुभारंभ करना बहुत ही प्रशंसनीय है।



श्री प्रणव देसाई
संस्थापक, वॉयस आफ स्पेशिएली
एब्लिटीपल



डॉ. श्रीमती अंजली अग्रवाल,
सह-संस्थापक समर्थयम



श्री संतोष कुमार रूंगटा, महासचिव,
नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड्स

श्री दिलीप चौहान स्कूल अध्यापक
अहमदाबाद, गुजरात

श्री निपुण मल्होत्रा संस्थापक एवं
सीईओ, निपमैन फाउंडेशन

समाचार में:

Social justice ministry ropes in pvt industries to extend 'Accessible India Campaign'

Topics: Social Issues

Press Trust of India | New Delhi
Last updated on January 10, 2020 21:15 IST

f t in +

Outlook THE NEWS SCROLL

10 JANUARY 2020 Last Updated at 9:10 PM, SOURCE: PTI

Social justice ministry ropes in pvt industries to extend reach of "Accessible India Campaign"

New Delhi, Jan 10 (PTI) The social justice and empowerment ministry (SJM), has roped in private industry...

High Five to Accessible India

ET brings you different elements of BJP government's next big-ticket initiative Accessible India:

- Accessible Tourism**
Would make websites, bookings, hotels and tourist spot accessible to differently-abled
- Accessibility Clubs**
Encourage institutes like IITs and other colleges to have Accessibility clubs
- Technological Interventions**
The govt would introduce technologies like "On Board" on buses
- Accessible television Viewing**
The government would make it mandatory for 25% of programmes on Doordarshan to be differently-abled friendly

Sugamya Bharat App
With this, anyone would be able to take a photograph of an inaccessible place and upload it on a web portal

Work In Progress

started discussions... PM has himself will consult PMO... to see how forward

A MINISTRY OFFICIAL

education, employment and livelihood helping built a stronger nation", they said.

A committee for standardisation of facilities in public places like airports, railway stations/trains and road sector is on the job. Harmonisation of specification and standards of railway coaches, their alignment and standards of railway coaches, their alignment with platforms, inter platform transfers to lifts and subways are all being posed for better accessibility... said.

Access audit of 1,662 state government buildings...

App to help disabled in accessibility battle

Times News Network

New Delhi: The government is all set to launch the "Sugamya Bharat App" - a crowd-sourcing mobile application for people with disabilities and others to report inaccessible places. The app will be able to take photos of such spots and provide the location of the problem for seeking remedial action.

FOR SMOOTHER ROAD
will enable registered users to not only access information related to the guidelines and provisions on accessible buildings, transport and infrastructure under the Accessible India Campaign but they will also be able to raise their concerns related to accessibility. The users will be notified at the time of resolution and closure of their complaints.

Union Minister Thaarward Chand Gehlot launches 'Sugamya Bharat App' and handbook 'Access - The Photo Digest'

and Empowerment of 'Sugamya Bharat App' conference... the handbook department of disabilities.

Prime Minister Narendra Modi... being faced by crowd-sourced through Jan-Bhagdaari. The Minister said, the app's purpose, it will generate sensitisation about the need for perceptible change in accessible features being provided.

Narendra Modi @narendramodi

The resilience and fortitude of persons with disabilities inspires us. Under the Accessible India initiative, numerous measures have been taken that ensure there is a perceptible change in the lives of our Divyang sisters and brothers.

#InternationalDayofPersonswithDisabilities

9:13 AM - Dec 3, 2020

Thaarward Chand Gehlot virtually launches "Sugamya Bharat App" and Handbook "Access - the Photo Digest"

App to make accessible for people with disabilities... will be able to take photos of such spots and provide the location of the problem for seeking remedial action.

The Economic Times

'Sugamya Bharat App' launched to ease accessibility issues faced by differently-abled in buildings, transport system

Mar 02, 2021

Union minister Thaarward Chand Gehlot virtually launched "Sugamya Bharat App", a crowd-sourcing mobile application, and a handbook entitled "Access - The Photo Digest" on...



दिव्यांगजनों का अनुकूलन और धैर्य हमें प्रेरित करता है। सुगम्य भारत पहल के तहत, कई उपाय किए गए हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे दिव्यांग बहनों और भाइयों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हों।

-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट,
3 दिसंबर 2020

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार



सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार